क्रम-संख्या–195(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 17, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6

———————

संख्या 1847/81-6-2025-256(पर्या)–2025

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2025

———————

अधिसूचना

सा0प0नि0–73

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 54 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियमावली, 1983 में संशोधन करने के दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)

(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची–1 का संशोधन

2- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **(विद्यमान अनुसूची)**				स्तम्भ–2 **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)**				
अनूसूची–1 (नियम-4 देखें)				अनूसूची–1 (नियम-27 देखें)				
1: उद्योग				(क) उद्योग : संचालनार्थ सहमति शुल्क निम्नानुसार होगाः				
क्र0 सं0	पूंजीगत विनिधान	(धनराशि लाख रुपये में)		क्र0 सं0	पूंजीगत विनिधान	आरम्भिक एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क (लाख रुपये में)		
		आरम्भिक शुल्क	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क			हरा	नारंगी	लाल
1	रु0 10,000 करोड़ से अधिक	10	5.0	1	रु0 1000 करोड़ से अधिक	5.0	5.75	6.5
2	रु0 5000 करोड़ से अधिक रु0 10,000 करोड़ तक	5.0	2.5					
3	रु0 1000 करोड़ से अधिक रु0 5,000 करोड़ तक	2.5	1.25					
4	रु0 500 करोड़ से अधिक रु0 1,000 करोड़ तक	1.5	0.75	2	रु0 500 करोड़ से अधिक रु0 1,000 करोड़ तक	1.5	1.72	1.95
5	रु0 100 करोड़ से अधिक रु0 500 करोड़ तक	1.0	0.5	3	रु0 250 करोड़ से अधिक रु0 500 करोड़ तक	1.0	1.15	1.3
6	रु0 50 करोड़ से अधिक रु0 100 करोड़ तक	0.75	0.35	4	रु0 50 करोड़ से अधिक रु0 250 करोड़ तक	0.75	0.86	0.94
7	रु0 10 करोड़ से अधिक रु0 50 करोड़ तक	0.50	0.25	5	रु0 10 करोड़ से अधिक रु0 50 करोड़ तक	0.50	0.58	0.65

स्तम्भ–1 (विद्यमान अनुसूची)				स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)				
अनूसूची–1 (नियम-4 देखें)				अनूसूची–1 (नियम-27 देखें)				
8	रु0 1 करोड़ से अधिक रु0 10 करोड़ तक	0.20	0.10	6	रु0 1.0 करोड़ से अधिक रु0 10 करोड़ तक	0.20	0.23	0.26
9	रु0 50 लाख से अधिक रु0 1 करोड़ तक	0.03	0.015	7	रु0 1.0 करोड़ तक	0.05	0.075	0.10
10	रु0 10 लाख से अधिक रु0 50 लाख तक	0.015	0.0075					
11	रु0 01 लाख से अधिक रु0 10 लाख तक	0.005	0.0025					
12	रु0 01 लाख तक	0.0005	0.0001					

(ख) स्थापना से पूर्व प्राप्त की जाने वाली सहमति हेतु आवेदन के साथ देय शुल्क		
क्र0 सं0	पूंजीगत निवेश	धनराशि (लाख रुपये में)
1	रु0 10,000 करोड़ से अधिक	5.00
2	रु0 5000 करोड़ से अधिक रु0 10,000 करोड़ तक	2.50
3	रु0 1000 करोड़ से अधिक रु0 5,000 करोड़ तक	1.25
4	रु0 500 करोड़ से अधिक रु0 1,000 करोड़ तक	0.75
5	रु0 100 करोड़ से अधिक रु0 500 करोड़ तक	0.50
6	रु0 50 करोड़ से अधिक रु0 100 करोड़ तक	0.37
7	रु0 10 करोड़ से अधिक रु0 50 करोड़ तक	0.25
8	रु0 1 करोड़ से अधिक रु0 10 करोड़ तक	0.10
9	रु0 50 लाख़ से अधिक रु0 1 करोड़ तक	0.030
10	रु0 10 लाख से अधिक रु0 50 लाख़ तक	0.015
11	रु0 10 लाख़ तक	0.005

(ख) स्थापना हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ भुगतान किया जाने वाला शुल्क निम्नानुसार होगाः–

स्थापना के लिए सहमति शुल्क संचालनार्थ सहमति शुल्क का 1.5 गुना होगा।

स्थापना के लिये सहमति हेतु आवेदन के साथ देय शुल्क वहां लागू होगा जहाँ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन शुल्क जमा नहीं किया गया है।

स्तम्भ–1 **(विद्यमान अनुसूची)**	स्तम्भ–2 **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)**
अनूसूची–1 (नियम-4 देखें)	अनूसूची–1 (नियम-27 देखें)

(ग) स्थानीय निकायों और अवसंरचना परियोजनाओं (आवासीय और अन्य) के लिए वार्षिक शुल्क निम्नानुसार होगाः–

(क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (अ), के अधीन आच्छादित अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में स्थापना के लिए वार्षिक शुल्क अवधारण के प्रयोजनार्थ पूँजी विनिधान, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 तक, समय-समय पर यथासंशोधित, स्थापना चरण के दौरान किये गये पूंजी विनिधान पर आधारित होगा। इसमें आवासीय (स्टैंडअलोन अपार्टमेंट/महाविद्यालयों) लेआउट, एकीकृत परियोजनाएँ, वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थायें, नगरीय और स्थानीय निकाय जल आपूर्ति और सीवेरेज बोर्ड सम्मिलित है। स्थापना के लिए वार्षिक शुल्क औद्योगिक इकाईयों हेतु अपनाए गए सूत्र के अनुसार की जाएंगी, जैसा कि उपर्युक्त मद क एवं ख में दिया गया है।

(ख) उर्पयुक्त उप-पैरा (क) में परियोजनाओं के संचालनार्थ सहमति के लिए अपेक्षित शुल्क उत्सर्जित/उपचारित मल के परिमाण पर आधारित होगाः

क्र0 सं0	उत्सर्जित और उपचारित मल	संचालनार्थ सहमति के लिए वार्षिक शुल्क	
		स्थानीय निकाय और आवासीय	आवासीय से भिन्न
1	2	3	4
1	10 केएलडी तक	5,000	7500
2	10 केएलडी से अधिक एवं 50 केएलडी तक	15,000	22,500
3	50 केएलडी से अधिक एवं 100 केएलडी तक	25,000	37,500
4	100 केएलडी से अधिक एवं 300 केएलडी तक	35,000	52,500
5	300 केएलडी से अधिक एवं 500 केएलडी तक	55,000	82,500

स्तम्भ–1 (विद्यमान अनुसूची)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनूसूची–1
(नियम-4 देखें)

अनूसूची–1
(नियम-27 देखें)

1	2	3	4
6	500 केएलडी से अधिक एवं 1 एमएलडी तक	65,000	97,500
7	1 एमएलडी से अधिक एवं 5 एमएलडी तक	75,000	1,12,500
8	5 एमएलडी से अधिक एवं 10 एमएलडी तक	1,00,000	1,50,000
9	10 एमएलडी से अधिक एवं 25 एमएलडी तक	2,00,000	3,00,000
10	25 एमएलडी से अधिक	4,00,000	6,00,000

(घ) एकमात्र स्रोत के रूप में डीजल जनरेटर रखने वाले स्थापन के लिए वार्षिक शुल्क निम्नानुसार होगाः–

ऐसे औद्योगिक संयंत्रों, जिनमें डीजल जनरेटर वायु प्रदूषण का एक मात्र स्रोत है, के लिए वार्षिक शुल्क निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	डीजल जनरेटर की श्रेणी	शुल्क (रु0)
1	250 केवीए और इससे कम	शून्य
2	250 केवीए से अधिक और 500 केवीए तक	रु0 1000
3	500 केवीए से अधिक और 1 एमवीए तक	रु0 2000
4	1 एमवीए से अधिक	रु0 5000

टिप्पणी :– अनुसूची-1 में उल्लिखित शुल्क की राशि में प्रत्येक दो वर्ष में 5 प्रतिशत तक स्वतः वृद्धि होगी।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1847/LXXXI-6–2025-256(Parya)-2025, dated December 8, 2025 :

No. 1847/ LXXXI -6–2025-256(Parya)-2025

Dated Lucknow, December 8, 2025

IN excercise of the powers under Section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983:

THE UTTAR PRADESH AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Air (Prevention and Control of Pollution) (Fourth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official *Gazette*.

Amendment of Schedule-1

2.In the said rules *for* the existing Schedule-1 set out in Column-I below, the Schedule as set out in the Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I *(Existing Schedule)*

SCHEDULE-1
(*See* Rule 4)

1-Industries

Sl. no.	Capital Investment	Amount (in Lakh Rs.)	
		Initial Fees	Annual Renewal Fees
1	More than Rs. 10,000 Crores	10	5.0
2	More than Rs. 5,000 Crores up to Rs. 10,000 Crores	5.0	2.5
3	More than Rs. 1,000 Crores up to Rs. 5,000 Crores	2.5	1.25
4	More than Rs. 500 Crores up to Rs. 1,000 Crores	1.5	0.75
5	More than Rs. 100 Crores up to Rs. 500 Crores	1.0	0.5
6	More than Rs. 50 Crores up to Rs. 100 Crores	0.75	0.35
7	More than Rs. 10 Crores up to Rs. 50 Crores	0.50	0.25
8	More than Rs. 1Crore up to Rs. 10 Crores	0.20	0.10
9	More than Rs. 50 Lakh up to Rs. 1 Crore	0.03	0.015

COLUMN-II *(Schedule as hereby substituted)*

SCHEDULE-1
(*See* Rule 27)

(A) Industries : Consent to Operate Fees shall be as below:-

Sl. no.	Capital Investment	Initial Fees and Annual Renewal Fees (In Lakh Rs.)		
		Green	Orange	Red
1	More than Rs. 1000 Crores	5.0	5.75	6.5
2	More than Rs. 500 Crores up to Rs. 1000 Crores	1.5	1.72	1.95
3	More than Rs. 250 Crores up to Rs. 500 Crores	1.0	1.15	1.3
4	More than Rs. 50 Crores up to Rs. 250 Crores	0.75	0.86	0.94
5	More than Rs. 10 Crores up to Rs. 50 Crores	0.50	0.58	0.65
6	More than Rs. 1 Crore upto Rs. 10 Crores	0.20	0.23	0.26
7	Up to Rs. 1 Crore	0.05	0.075	0.10

<table>
<tr><th>COLUMN-I
(Existing Schedule)</th><th>COLUMN-II
(Schedule as hereby substituted)</th></tr>
<tr><td>SCHEDULE-1
(See Rule 4)
<table>
<tr><td>10</td><td>More than Rs. 10 Lakh up to Rs. 50 Lakh</td><td>0.015</td><td>0.0075</td></tr>
<tr><td>11</td><td>More than Rs. 1 Lakh up to Rs. 10 Lakh</td><td>0.005</td><td>0.0025</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Up to Rs. 1 Lakh</td><td>0.0005</td><td>0.0001</td></tr>
</table>
(B) Fees to be paid along with application for abtaining Consent prior to Establish,—
A fees to be paid alongwith application for the obtaining prior consent before the establishment this Article shall apply where fees has not been deposited under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
<table>
<tr><th>Sl. no.</th><th>Capital Investment</th><th>Fees (Amount in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>More than Rs. 10,000 Crores</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>More than Rs. 5,000 Crores upto Rs. 10,000 Crores</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>More than Rs. 1,000 Crores upto Rs. 5,000 Crores</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>4</td><td>More than Rs. 500 Crores upto Rs. 1,000 Crores</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>5</td><td>More than Rs. 100 Crores upto Rs. 500 Crores</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>More than Rs. 50 Crores upto Rs. 100 Crores</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>7</td><td>More than Rs. 10 Crores upto Rs. 50 Crores</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>8</td><td>More than Rs. 1 Crore upto Rs. 10 Crores</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>9</td><td>More than Rs. 50 Lakh upto Rs. 1 Crore</td><td>0.030</td></tr>
</table></td><td>SCHEDULE-1
(See Rule 27)
(B) Fees to be paid along with application for obtaining Consent to Establish shall be as below:-
Consent to Establish Fee shall be 1.5 times of consent to operate fees.
Fees to be paid along with application for the consent to establish shall apply where fees has not been deposited under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.</td></tr>
</table>

COLUMN-I *(Existing Schedule)*			COLUMN-II *(Schedule as hereby substituted)*
SCHEDULE-1 (*See* Rule 4)			SCHEDULE-1 (*See* Rule 27)
Sl. no.	Capital Investment	Fees (Amount in Lakh Rupees)	
10	More than Rs. 10 Lakh upto Rs. 50 Lakh	0.015	
11	upto Rs. 10 Lakh	0.005	
			(C) Annual Fees For Local Bodies And Infrastructure Projects (Residential And Other) shall be as below:- (a) In respect of infrastructure projects covered under notification no. SO 1533(A) of the Government of India, capital investment for the purpose of determining annual fee for setting up, shall be based on the capital investment during the setting up phase as on 14th September, 2006, as amended from time to time. This includes residential (standalone apartments/ colleges) layouts, integrated projects, commercial complexes, office complexes, educational institutions, townships and local bodies water supply and sewerage boards. Annual fee for setting up shall be as per the formula adopted for industrial units, as given in item A and B above. (b) The fees required for consent to operate the projects in sub-paragraph (a) above shall be based on the quantity of sewage generated/treated:

COLUMN-I *(Existing Schedule)*	COLUMN-II *(Schedule as hereby substituted)*

SCHEDULE-1
(*See* Rule 4)

SCHEDULE-1
(*See* Rule 27)

Sl. no.	Generated and Treated Sewage	Annual Fee for Consent to Operate	
		Local Body & Residential	Other than Residential
1	2	3	4
1	Up to 10 KLD	5,000	7,500
2	More than 10 KLD up to 50 KLD	15,000	22,500
3	More than 50 KLD up to 100 KLD	25,000	37,500
4	More than 100 KLD up to 300 KLD	35,000	52,500
5	More than 300 KLD up to 500 KLD	55,000	82,500
6	More than 500 KLD up to 1MLD	65,000	97,500
7	More than 1 MLD up to 5 MLD	75,000	1,12,500
8	More than 5 MLD up to 10 MLD	1,00,000	1,50,000
9	More than 10 MLD up to 25 MLD	2,00,000	3,00,000
10	More than 25 MLD	4,00,000	6,00,000

(D) Annual fee for establishments having diesel generator as the sole source shall be as below :-

The annual fee for industrial plants having diesel generator as the sole source of air pollution is as follows:-

Sl. no.	Category of Diesel Generator	Fee (Rs.)
1	Less than and Equal to 250 KVA	Zero
2	More than 250 KVA Less than and Equal to 500 KVA	Rs. 1000
3	More than 500 KVA Less than and Equal to 1 MVA	Rs. 2000
4	More than 1 MVA	Rs. 5000

Note :- The amount of fee mentioned in Schedule-I shall automatically increase by 5 percent in every two years.

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 279 राजपत्र–2025–(817)–599 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 8 सा0 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन–2025–(818)–100 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।
279 RPH 2025 (Paryavaran Anubhag-4) data 1e